बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक–..............................

सं0सं0–3/आ01–165/2018................/ श्रीमती पूनम चौधरी, तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना)–सह–प्रभारी जिला शिक्षा पदाधिकारी, गोपालगंज–सम्प्रति–जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, नवादा के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के पत्रांक 1647/सी0 दिनांक 12.04.2019 द्वारा पद का दुरूपयोग करते हुए गबन के आरोपी शिक्षक श्री संजय कुमार राय, तत्कालीक प्रधानाध्यापक, मध्य विद्यालय, शिवराजपुर, भोरे के विरूद्ध कार्रवाई नहीं करने, शिक्षकों के प्रोन्नति के पश्चात् पदस्थापन में अनियमितता बरतने, मांगे गये स्पष्टीकरण के आलोक में तथ्यहीन तथ्य समर्पित करने, निजी स्वार्थवश में अभिभूत होकर विभागीय मार्गनिर्देशों के विपरित कार्य करने एवं स्वेच्छाचारिता बरतने संबंधी प्रतिवेदित आरोपों के लिए आरोप पत्र प्रपत्र–'क' गठित कर तत्कालिक प्रभाव से निंलबित करते हुए विभागीय कार्यवाही प्रारंभ किये जाने की अनुशंसा की गयी हैं। जिला पदाधिकारी, गोपालगंज से प्राप्त अनुशंसा के समीक्षोपरांत उक्त प्रथम दृष्टव्या प्रमाणित आरोपों के लिए श्रीमती चौधरी को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–09 के सुसंगत प्रावधानों के तहत अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया जाता हैं।

2. श्रीमती चौधरी के निलंबन अवधि का मुख्यालय क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, सारण प्रमंडल, छपरा का कार्यालय निर्धारित किया जाता हैं।

3. श्रीमती चौधरी को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–10 के तहत अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान निलंबन अवधि के निर्धारित मुख्यालय से किया जायेगा।

4. श्रीमती चौधरी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही का संकल्प अलग से निर्गत किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
(सुशील कुमार)
निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव।

ज्ञापांक–3/आ01–165/2018–.......514....../ पटना, दिनांक–...20/08/19...

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित/महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, गोपालगंज/जिला पदाधिकारी, नवादा/क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, सारण प्रमंडल, छपरा/जिला शिक्षा पदाधिकारी, गोपालगंज/जिला शिक्षा पदाधिकारी, नवादा/सभी निदेशक, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/श्रीमती पूनम चौधरी, तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना)–सह–प्रभारी जिला शिक्षा पदाधिकारी, गोपालगंज–सम्प्रति–जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, नवादा एवं आई0 टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20-8-2019

निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव।